

रोगी सूचना प्रपत्र (विषय)

- १ . इस अध्ययन को शोध की तरह व्यक्त करने का स्वाभाव एवं उद्देश्य.
- २ .इस अध्ययन में भाग लेने वालों की संख्या एवं अवधि ।
३. कार्य प्रणाली का अनुकरण
४. जाँच , यदि कोई भी हो का किया जाना
५. पूर्वभासी खतरा या असुविधा का पूर्ण विवरण एवं की क्या योजना में न्यूनतम से ज्यादा खतरा है ।
६. सहभागी , समुदाय या चिकित्सीय पेशेवर को लाभ जैसा की लागू हो ।
- ७ . छतिपूर्ति की नीति ।
८. छति या जोखिम प्रबंधन की चिकित्सीय उपबलब्धता
- ९ .वैकल्पिक चिकित्सा यदि उपलब्ध है ।
१०. गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए उठाये जाने वाले कदम ।
११. अध्ययन से वापसी पर लाभ का खत्म होना
- १२.व्यवसायीकरण की दशा में होने वाले लाभा को साझा करना ।
१३. शोध या छति की दशा में अधिक जानकारी के लिए मुख्य अन्वेषक या स्थानीय अन्वेषक का संपर्क विवरण.
१४. अधिकारों के उलंघन की दशा में संस्थान के चिकित्सीय नीति समिति के मुखिया का संपर्क विवरण ।
१५. स्वैच्छिक सहभागिता
१६. यदि एचआईवी या अनुवांशिक जाँच होनी है तो ऐसी दशा में सहमति के लिए परामर्श को राष्ट्रीय दिशा निर्देश के अनुसार निश्चित रूप से दिया जाना ।
१७. जैविक नमूने की संग्रह अवधि एवं सम्बंधित आकड़ों का भविष्य में उपयोग के लिए विकल्प का सहभागी को प्रस्ताव देना , संग्रह की अस्वीकृति और परिणामों की रसीद देने के सम्बन्ध में ।